पत्रांक –3/एम०–37/2022सा0प्र0 1187 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

पुलिस महानिदेशक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 22/01/2024

विषय– बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालन बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(3) में निहित प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में प्रावधानित है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्रों द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करने का निदेश समय–समय पर निर्गत किया गया है, जो सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट (https://state.bihar.gov.in/gad) पर उपलब्ध है। इसके बावजूद भी इन प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन नहीं किये जाने के कतिपय दृष्टांत सरकार के संज्ञान में आये हैं। कतिपय मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध की गयी सम्पुर्ण अनुशासनिक कार्रवाई को इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि आरोपित के विरुद्ध गठित आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नहीं था।

3. (क) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(3) में सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र के गठन का प्रावधान किया गया है, जो निम्नवत् है–

"(3) जहाँ इस नियम के अधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध जाँच करना प्रस्तावित हो वहाँ **अनुशासनिक प्राधिकार**–

(i) **अवचार या कदाचार के लांछनों के सार** को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा;

(ii) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में **अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन** लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा, जिसमें–

(क) सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहितसभी सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन, और

(ख) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, अन्तर्विष्ट रहेंगी।"

(ख) उक्त नियमावली, 2005 के नियम–19 का प्रावधान निम्नवत् है–

"**19. लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।**– (1) नियम–18 के उप नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सरकारी सेवक पर नियम–14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश निम्नांकित कार्रवाईयों के किये बिना नहीं दिया जायेगा–

(क) उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये **प्रस्ताव तथा कदाचार अथवा अवचार का लांछन**, जिसके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, की सरकारी सेवक को लिखित जानकारी, और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहे;

(ख) हरेक मामले जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार की राय में ऐसी जाँच आवश्यक हो नियम–17 के उप नियम (3) से (23) तक में विहित रीति से जाँच;

(ग) सरकारी सेवक द्वारा खंड (क) के अधीन समर्पित अभ्यावेदन तथा (ख) के अधीन की गयी जाँच, यदि कोई हो, पर विचार;

(घ) प्रत्येक अवचार या कदाचार पर निष्कर्ष का अभिलेखन; और

(ङ) आयोग से परामर्श करना जहाँ ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नांकित शामिल रहेंगे–

(i) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना की एक प्रतिलिपि;

(ii) उसे उपलब्ध कराये गये अवचार या कदाचार के लांछन के अभिकथन की एक प्रतिलिपि;

(iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

(iv) जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य;

(v) आयोग का परामर्श, यदि कोई हो;

(vi) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन के बारे में निष्कर्ष; और

(vii) मामले पर, कारणों के साथ, आदेश।"

5. अतः किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 अथवा नियम–19 के प्रावधान के तहत कार्रवाई करने के पूर्व उसके विरूद्ध ***अवचार या कदाचार के लांछनों के सार तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन*** को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लेखबद्ध कराया जाना आवश्यक है। एतदर्थ विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ संकलित करने हेतु आरोप–पत्र के प्रपत्र का निर्धारण "बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप–पत्र का गठन विनियमावली, 2017" के परिशिष्ट–1 में किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोप–पत्र के निर्धारित प्रपत्र के भाग–2 एवं 3 में निम्नांकित सूचनाएँ अंकित किये जाने का प्रावधान है–

"3.(3) द्वितीय भाग में अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के रूप में अन्तर्विष्ट होगा।

(4) तृतीय भाग में आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन अन्तर्विष्ट होगा, जिसमें सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित, सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन अन्तर्विष्ट रहेगा।"

6. वर्णित स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 अथवा नियम–19 के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु सर्वप्रथम विहित प्रपत्र में "आरोप पत्र" का गठन एवं उसका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। स्पष्टतः कोई आरोप पत्र तभी विधिसम्मत् माना जायेगा जब वह विहित प्रपत्र में हो और अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित हो।

7. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र पर संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाय। साथ ही उक्त प्रावधान से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय।

विश्वासभाजन,

8.1.2014

(डॉ0 बी0 एजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव।